Per Kg. Subsidy on Sugar

2643. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Starred question 57 given in the Rajya Sabha on 29th May, 1998 and state:

(a) whether it is a fact that 1991 census is taken into consideration and not 1996 population;

(b) what is the price of sugar at the PDS per kg. and what is the subsidy given per kg.; and

(c) what is the quantity allotted per person?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The price of sugar at the PDS i.e. Rs. 11.40 per kg. w.e.f. 1.10.97 and subsidy per kg. works out to about Rs. 0.60 per kg.

(c) A quantity of 425 gms. of sugar is allotted per person.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले

2644. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रही हैं;

(ग) क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य आयोगों और जिला मंचों में उनकी शुरुआत से दायर किए गए राज्य-वार मामलों की संख्या विवरण में दी गयी है। (नीचे देखिए) वर्ष-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को उपयुक्त रूप से क्रियान्वित कर रही हैं तथापि, अध्यक्ष/सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण राज्य प्रतितोष मंचों के कार्य न करने के कुछ मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आए हैं। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारों को उचित उपचारात्मक कार्यवाही करने की सलाह देती है।

विवरण

उपभोक्ता न्यायालय

शुरुआत से दायर किए गए मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग	जिला मंच
आन्ध्र प्रदेश	8272	94403
अरुणाचल प्रदेश	14	149
असम	994	5499
बिहार	4026	30905
गोआ	847	2694
गुजरात	5783	46419
हरियाणा	5615	51940
हिमाचल प्रदेश	1756	10068
जम्मू और कश्मीर	51	6882
कर्नाटक	6192	52055
केरल	9871	84289
मध्य प्रदेश	5667	45086
महाराष्ट्र	37235	270009
मणिपुर	78	671
मेघालय	64	193
मिजोरम	5	199
नागालैण्ड	4	60
उड़ीसा	5459	25728
पंजाब	3534	23102
राजस्थान	15363	103435
सिक्किम	12	77

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग	जिला मंच
तमिलनाडु	8914	41038
त्रिपुरा	192	753
उत्तर प्रदेश	17317	179554
पश्चिम बंगाल	3963	35498
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	14	148
चण्डीगढ़	1507	11178
दादर और नगर हवेली	0	26
दमण और दीव	1	58
दिल्ली	7177	43921
लक्षद्वीप	7	30
पाण्डीचेरी	424	1373
	150358	1167517

Wastage of foodgrains in godowns and at farm level

2645. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether eight to nine per cent of the foodgrains are spoiled and wasted at the godowns by one way or other;

(b) whether equally the same amount of grains are spoiled by farmers at farm level due to lack of facilities or not knowing the proper system to preserve;

(c) what strategy the Ministry has formulated to save the losses of foodgrains and what is the amount allotted to implement the strategy; and

(d) whether we can save the major part of wastage to avoid import of foodgrains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) No, Sir. The losses occuring in foodgrains during storage in the godowns of Central Storage agencies are about 0.5%.

(b) and (c) As per the Report of Dr. Panse Committee constituted by the Government of India in 1966, about 9.33% of foodgrains are lost during post harvest period at farm level due to insects, rodents, birds and moisture. Since such losses are mainly due to lack of necessary facilities and knowledge about the scientific storage of foodgrains, the Government launched a Scheme of Save Grain Campaign (SGC) to popularise the scientific methods of storage of foodgrains at farm level. Besides, Indian Grain Storage Management and Research Institute (IGMRI) at Hapur and its 5 field stations at Ludhiana, Jabalpur, Udaipur, Hyderabad and Jorhat have been set up to carry out research and development activities to minimise post-harvest losses at farm and commercial level. A sum of Rs. 10.76 crores has been proposed for the Post Harvest Operations Scheme during 1998-99.

(d) Yes, Sir.

आस्ट्रेलियाई गेहूं के आयात की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2646. **श्री जनार्दन यादव:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने चुनावों के दौरान आस्ट्रेलिया से 14 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या उन्हें इस सौदे में घोटाले के आरोपों के संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इस सौदे की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की कोई मांग की गई है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) सरकार निर्धारित बफर मानदण्ड, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन, वसूली प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यकता खुले बाजार मूल्यों आदि की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती है और खाद्यान्न आयात का निर्णय समूची स्थिति के आधार पर लिया जाता है।